बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 20.04.2018

संचिका संख्या– 18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0–1–7/2015– 135(प्रो0)/स्वा0 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कार्यरत आहारविद को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ देने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञाप संख्या–3 एम–2–5वे0पू0–28/99–4685 वि0 (2) दिनांक– 25.06.2003, ए0सी0पी0 संशोधन नियमावली– 2006 वित्त विभागीय ज्ञापांक– 1802(वि0) दिनांक– 23.03.2006 के आलोक में 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के फलस्वरूप प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं 24 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के फलस्वरूप द्वितीय वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है, जो दिनांक– 09.08.1999 से लागू है।

2. एम0ए0सी0पी0 योजना 2010 ज्ञापांक– 7566 दिनांक– 14.07.2010 के आलोक में 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान है, जो दिनांक– 01.01.2009 से लागू है।

3. वित्त विभागीय पत्रांक– 5152(वि0) दिनांक– 21.05.2013 के द्वारा ए0सी0पी0 के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम0ए0सी0पी0 योजना 2010 के तहत द्वितीय उन्नयन के लिए कलावधि के संबंध में प्रावधान किया गया है कि 12 वर्ष पर प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्त कर्मी को एम0ए0सी0पी0 के तहत द्वितीय ए0सी0पी0 प्रथम योगदान की तिथि से 20 वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त वित्त विभागीय परिपत्रों के आलोक में श्री शीतल प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत आहारविद् को 12 वर्षों की सेवा के उपरांत कॉलम–6 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान– 6500–10500/– रूपये (पुनरीक्षित– पी0बी0–2, 9300–34800/– रूपये ग्रेड पे– 4200) में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं 20 वर्षों की सेवा के उपरान्त एम0ए0सी0पी0 योजना 2010 के तहत कॉलम–7 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान– 7400–11500/– रूपये (पुनरीक्षित– पी0बी0–2, 9300–34800/– रूपये ग्रेड पे– 4600) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है।

श्री अशोक कुमार यादव, सेवा निवृत अहारविद् को वित्त विभागीय ज्ञापांक– 5152 दिनांक– 21.05.2013 के आलोक में कॉलम–7 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान– 7400–11500/– रूपये (पुनरीक्षित– पी0बी0–2, 9300–34800/– रूपये ग्रेड पे– 4600) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है।

5. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर वेतनमान तक ही सीमित है और इसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन के पद, कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे।

6. सरकारी सेवक स्कीम के अधीन मंजूर किये गये उच्चतर वेतनमान के आधार पर सेवा निवृति/ सेवान्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

7. किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर कोई वित्तीय वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा कि उसकी श्रेणी में उससे कनीय कर्मी स्कीम के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे है।

8. परिशिष्ट 'क' पर संलग्न विवरणी में अंकित 2 (दो) आहारविद् के संबंध में महालेखाकार/वित्त विभाग/ प्रशासी विभाग/ निगरानी या अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये

135(प्रो0) 20.4.18

जाने पर संबंधित आहारविद् को प्रदत्त सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एक मुस्त कर ली जायेगी।

9. इस अधिसूचना में किसी आहारविद् के नाम/ योगदान की तिथि/ जन्मतिथि एवं ए0सी0पी0 की देय तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो इसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

10. इस उन्नयन के फलस्वरूप पेंशन/ वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के मौलिक नियमों के अनुसार होगा।

11. महालेखाकार (ले एवं ह0) एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना अधिसूचित ए0सी0पी0 के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जाँच पूर्ण रूप से कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0–1–7/2015–1351(स्वा0) पटना, दिनांक– 20.04.2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बंधित अहारविद्, ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं ।

प्रतिलिपि– अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/संबंधित आहारविद, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति, बिहार, पटना के आप्त सचिव /प्रधान सचिव–सह–सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव–सह–सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी– 1, 2, 3, 9 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/4/18
सरकार के अवर सचिव।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अहारविद्‌ों को ए०सी०पी० / रूपान्तरित ए०सी०पी०की स्वीकृति हेतु विवरणी (परिशिष्ट–'क')						
क्र०सं०	अहारविद् का नाम	जन्म तिथि	स्वा० सेवा में योगदान की तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी की देय तिथि / वेतनमान– 6500–10500	द्वितीय रूपान्तरित ए०सी०पी० की देय तिथि / वेतनमान– 7400–11500
1	2	3	4	5	6	7
1	**श्री शीतल प्रसाद श्रीवास्तव**	02.02.1955	18.11.1983	28.02.2015	09.08.1999	01.01.2009
2	**श्री अशोक कुमार यादव** (अधिसूचना संख्या– 419(17) दिनांक– 26.03.2012 के द्वारा प्रथम ए०सी०पी० प्राप्त)	05.02.1954	16.05.1989	28.02.2014	—	16.05.2009

ह0/ 20–4–18
सरकार के अवर सचिव।

135(स्वा०चि०)
20.04.18